Working with men and boys for Gender Equality and Securing Child Rights

Responsible Partner's and Caring Father's

(समझदार जीवन साथी–जिम्मेदार पिता)

पितृसत्ता, जेण्डर आधारित हिंसा व समूह संचालन पर

एनीमेटर्स के साथ तीन दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल
(दूसरा चरण)

परियोजना पृष्ठभूमि :

जेण्डर समानता व बाल अधिकारों को सुनिश्चित कराने की दिशा में पुरूषों की जिम्मेदारी व जवाबदेही के लिए झाररखण्ड राज्य के तीन जनपदों में 'समझदार जीवन साथी–जिम्मेदार पिता' कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ''ओक फाउण्डेशन'' के सहयोग से सी.एच.एस.जे. नई दिल्ली द्वारा सहयोगी संस्थाओं सृजन फाण्डेशन–रॉची, छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ–गुमला व सहयोगिणी– बोकारो के साथ मिलकर 30 गांवों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित गांवों में 13 से 18 साल के किशोर लड़कों को व 22 से 45 साल के पिताओं को शामिल किया गया है तथा गांव के स्तर पर कि लड़कों व पिताओं के एक–एक समूह गठित किये गये हैं। प्रत्येक गांव में गठित समूहों में से एक एनीमीटर का चयन किया गया है जो अपने गांव में गठित दोनों समूहों (पिता व किशोर लड़कों का समूह) को लीडर के रूप में नेतृत्व प्रदान करता है।

मॉडयूल के बारे में :

परियोजना अर्न्तगत एनीमीटर्स के साथ दूसरे चरण के प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों जैसे– पितृसत्ता व्यवस्था, पितृसत्ता व सामाजिक संस्थान, जेण्डर आधारित हिंसा, हिंसा का महिलाओं व पुरूषों पर पड़ने वाला असर, घर के अन्दर महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाली हिंसा तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून विषयों पर उनकी जानकारी व समझ बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। एनीमीटर्स गांव स्तर पर गठित समूहों को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें इसके लिए समूह का महत्व व समूह संचालन पर भी जानकारी व कौशल बढ़ाने के लिए सत्रों को जोड़ा गया है।

माड्यूल का उददेश्य :

- एनीमेटर तथा फैसलिटेटर प्रशिक्षण के बाद पितृसत्ता, पितृसत्ता कैसे काम करती है तथा विभिन्न सामाजिक संस्थान पितृसत्ता को किस प्रकार संचालित करते हैं तथा इसका महिलाओं, पुरूषों तथा समाज में पड़ने वाले असर पर जानकारी व समझ बढ़ा पायेंगे।
- प्रतिभागी हिंसा की स्थिति, परिवार व समाज में हिंसा का महिलाओं व बच्चों के जीवन में पड़ने वाले असर पर सकारात्मक जानकारी व समझ बढा पायेगें।
- एनीमीटर्स में समूह की महत्ता व ग्रुप संचालन पर जानकारी व कौशल बढ़ना।

प्रशिक्षण की कार्य प्रणाली–

मॉड्यूल की पद्वतियां एवं सत्र पूर्णतः सहभागिता से सीखने के सिद्धान्त पर आधारित हैं, जिसके तहत सैद्धान्तिक व अभ्यास (इन हाउस) दोनों प्रकार के सत्रों का समावेश किया गया। सत्रों को रूचिकर व तथ्यपरख बनाने के लिए क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है।

पहला दिन

सत्र 01ः स्वागत, परिचय एंव उद्देश्य

उददेश्य :

- तीनो जिलों के प्रतिभागी एक दूसरे के बारे में सघन रूप से जान पायेगें।

पद्वति : व्यक्तिगत चर्चा
समय : 60 मिनट
सामग्रीः चार्ट, मार्कर

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें।
2. इसके बाद फैसलिटेटर प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि हम लोग आपस में अपना–अपना परिचय देगें।
3. जिसमें प्रतिभागी को अपना नाम, गॉव का नाम तथा अपने गांव में क्या काम करते हैं को साझा करने के लिए कहे। सर्वप्रथम सहजर्कता अपना परिचय प्रतिभागियों को बताये।
4. अंत में फैसलिटेटर को चाहिये कि वे तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के उद्देश्यों तथा कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट करें।
5. तत्पश्चात् किसी प्रतिभागी को प्रेरित करें की वह सामूहिक तौर पर कोई गाना सुनाये। यदि प्रतिभागी झिझक के कारण नहीं सुना पा रहे हैं तो स्वयं गाने की शुरूआत करें लेकिन सभी प्रतिभागियों से कहें कि वो भी साथ में गायें।

सत्र 02 – प्रतिभागियों की अपेक्षाएं व आधारभूत नियम

उद्देश्य :

- प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को स्थापित करना तथा प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु नियम बनाना।

पद्वति : सामूहिक चर्चा व प्रस्तुतीकरण
समय : 60 मिनट
सामग्री : स्केच पैंन व बोर्ड मारकर

गतिविधियां :

1. फैसलिटेटर को चाहिये कि वह प्रतिभागियों को बताये कि उन्हें अपने नोट पैड में तीन दिवसीय प्रशिक्षण में क्या जानना चाहते हैं अर्थात उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हें लिखना है।

2. प्रतिभागियों को यह भी समझा दें कि आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी लेकिन आपको उन में से कोई मुख्य दो अपेक्षाओं को ही लिखना है। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित कर दें।
3. तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों से एक–एक करके अपनी कोई एक अपेक्षा को पढ़ने के लिए कहें यह क्रम जारी रखते हुए सभी प्रतिभागियों से उनकी अपेक्षाओं निकलवायें।
4. जब अपक्षाओं की लिस्ट पढ़ी जा रही हो तो फैसलिटेटर प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को वर्गीकृत क्रम में चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखते जाये।
5. साथ ही फैसलिटेटर, प्रतिभागियों को जिनकी अपेक्षाएं छूट रही हों जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
6. तत्पश्चात् फैसलिटेटर चार्ट पेपर या बोर्ड़ में वर्गीकृत अपेक्षाओं को पढ़कर सुनाए कि हम इस प्रशिक्षण में किन–किन अपेक्षाओं को इस प्रशिक्षण के दौरान पूरा कर पायेगें।
7. प्रतिभागियों से निकली अपेक्षाओं के चार्ट को दीवार में लगा दें ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागी मूल्यांकन कर पाये कि उनकी कौन–कौन सी अपेक्षाएं पूरी हो पाई।

आधारभूत नियम :
फैसलिटेटर को चाहिये कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए ताकि सभी प्रतिभागियों की सीख बन पायें इसके लिए कुछ आधारभूत नियम बनाने के लिए प्रतिभागियों को उत्साहित करे। नियमावली बनाने के बाद उसे हाल में लगा दें ताकि सभी प्रतिभागी उनका पालन कर सकें।

फैसलिटेटर स्पष्ट कर दें कि बनाये गये नियमों का पालन करना हर प्रतिभागी की जिम्मेदारी हैं तथा इसके लिए सभी साथी एक दूसरे की मदद करेगें। तीनो संस्था के प्रतिनिधि सभी एनीमेटर्स के साथ उनकी समस्याओं और विषयों में यदि किसी प्रकार की अस्पष्टता है तो उसकी जानकारी लेते रहेगें तथा प्रशिक्षकों / फैसलिटेटर्स को अवगत कराते रहेगें।

तत्पचात् प्रतिभागियों के साथ कोई उर्जावान गीत या खेल कराकर सत्र का समापन करें।

गतिविधि उपरान्त प्रकाशित मुद्दे :
सत्र के अन्त में प्रतिभागी यह समझ पायंगे कि इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण में किन–किन विषयों पर जानकारी व समझ बढ़ाई जायेगी तथा सहभागी प्रशिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रतिभागी अपने योगदान को सुनिश्चित कर पायेगें।

सत्र 03 – पहले चरण के प्रशिक्षण का रिकैप

उद्देश्य :
- पहले चरण के प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों, अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा बनी सीख को निकलवाना तथा जो विषय अस्पष्ट रहे हैं, जानकर उन पर स्पष्टता लाना।
- पहले चरण के प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों द्वारा की गई पहल, आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को जानना तथा साझा समझ बनाना।

पद्धति : खुली व व्यक्तिगत चर्चा
समय : 80 मिनट
सामग्री : पूर्व प्रशिक्षण में चर्चा किये गये विषयों की सूची

गतिविधियां :

1. फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों को पहले चरण में आयोजित किये गये चार दिवसीय प्रशिक्षण में चर्चा किये गये विषयों को निम्न बिन्दुओं के आधार शेयर करने के लिए कहें, चर्चा की शुरूआत कहीं से कोई भी प्रतिभागी कर सकता है –
   - किन–किन विषयों पर चर्चा की गई थी?
   - कौन–कौन सी गतिविधियां कराई गई?
   - अलग–अलग मुद्दो पर हमारी क्या सीख बनी?
   - कौन सा विषय अभी भी अस्पष्ट है?

2. फैसलिटेटर को चाहिये कि प्रतिभागियों की शेयरिंग के बाद छूटे हुए विषयों को जोड़े तथा अस्पष्ट रहे विषयों को स्पष्ट करें।
3. इसके बाद, फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों से क्रमशः प्रशिक्षण के बाद जेण्डर समानता के लिए किये गये प्रयासों, आने वाली चुनौतियों को शेयर करने के लिए कहें।
4. फैसलिटेटर प्रतिभागियों द्वारा शेयर की जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को नोट करते जाय, जिसके बाद जरूरी इनपुट दिया जाना चाहिये ताकि आने वाली चुनौतियों व समस्याओं में एनीमेटर्स को मदद मिल सकें। फैसलिटेटर यह भी कर सकता है कि पहले दिन के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद शेयर की गई जानकारी को लिखने के लिए कहें।

सत्र 04 – पितृसत्ता

उददे्श्य– सत्र के अन्त तक प्रतिभागी पितृसत्ता की अवधारणा के बारे में जानेंगे।
समय : 60 मिनट
पद्वति : भाषण, बड़े समूह में चर्चा
सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर

गतिविधियां –

- फैसलिटेटर प्रतिभागियों को बताए कि अभी हम लोग पितृसत्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे सहजकर्ता बोर्ड पर पितृसत्ता शब्द लिख दे।
- तत्पश्चात फैसेलिटेटर प्रतिभागियों से पूछे कि किन–किन लोगों ने पितृसत्ता का शब्द सुना है? या फिर पूछे कि पितृसत्ता से क्या मतलब निकलता है?
- प्रतिभागियों से निकलने वाले शब्दो को फैसलिटेटर चार्ट या बोर्ड पर लिखते जाय।
- अंत में प्रतिभागियों द्वारा निकाले गये शब्दों को जोड़ते हुए एक परिभाषा बनाने का प्रयास करें।
- फैसेलिटेटर सहभागी भाषण चर्चा से समझाने का प्रयास करे। भाषण के लिए लिखे बिन्दुओं का सहारा भी लिया जा सकता है।

सार – पितृ का अर्थ है पिता और सत्ता का अर्थ है ताकत या शासन। इस प्रकार पितृसत्ता का अर्थ है– पिता का शासन। वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल कुछ एसे ढाँचों और रिवाजों वाली सामाजिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसमें पुरुष, औरतों पर शासन करते हैं, उनका उत्पीड़न और शोषण करते हैं। इस प्रकार पितृसत्ता एक व्यवस्था है, एक दर्शन है जो पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर पुरुषों की सत्ता को

स्थापित करता है। पुरुषों को प्रभुत्व व महिलाओं के दोयम् दर्जे को स्वीकारता है तथा बनाए रखने के लिए ढ़ाँचागत रूप से काम करता है।

सत्र 05 – पितृसत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं

उद्देश्य : सत्र के उपरांत प्रतिभागी यह समझ पाऐंगे कि –

- कौन–कौन सी संस्थाएँ हैं जो नियंत्रण करती हैं?
- ये संस्थाएँ महिलाओं और पुरूषों को कैसे नियंत्रण करती हैं?

समय : 1 घंटा

पद्धति : समूह चर्चा व पठन

सामग्री : चार्ट, मार्कर

गतिविधियां –

- फैसेलिटेटर बड़े समूह में प्रतिभागियों से पूछे कि कौन–कौन सी संस्थाएँ हो सकती हैं जो हमारा सामाजीकरण करती हैं या हमें समाज के बारे में सिखाती हैं?
- प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को चार्ट पर लिखते जाय। उदाहरण –
    - परिवार
    - समाज
    - धर्म
    - कानूनी व्यवस्था/सरकार
    - जन संचार/मिडिया
    - शिक्षा
    - आर्थिक व्यवस्था/बाजार
    - राजनीति
- फैसेलिटेटर प्रतिभागियों को चार समूह में बाँटे। प्रत्येक समूह में 7 से 8 लोग हो सकते हैं।
- चारो समूहों को क्रमशः परिवार, शिक्षा, धर्म एवं जनसंचार संस्थाओं पर चर्चा करके निकालने को कहें कि उक्त संस्था किस तरह से महिलाओं और पुरूषों को नियंत्रित करती है।
- समूह चर्चा व चार्ट प्रस्तुतीकरण के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित कर दें तथा यह भी बता दें कि समूह से कोई एक व्यक्ति चार्ट प्रस्तुतीकरण करेगें।
- फैसेलिटेटर प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि समूह के सदस्यो को यह भी देखेगा कि यह नियंत्रण किन–किन चीज़ो पर करती हैं जैसे– संसाधन, स्वास्थ्य सुविधा, पौष्टिक आहार, शिक्षा, निर्णय की जगह, प्रतिनिधित्व के मौके आदि।
- चारो समूहों की प्रस्तुति होने के बाद फैसेलिटेटर निम्न प्रश्नों के आधार पर विश्लेषण कराएं –
    1. सभी समूहों में क्या समानता दिखती है?
    2. सभी संस्थाएँ किस तरह महिला के ऊपर नियंत्रण करती है?
    3. सभी संस्थाएँ किस तरह पुरुषों पर नियंत्रण करती हैं?

4. इन नियंत्रण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
5. इन नियंत्रण का पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सार – फैसेलिटेटर सत्र का सार बाँधते हुए बताए कि सभी संस्थाएँ अलग–अलग रूप से तथा कभी–कभी एक दूसरे के साथ मिलकर महिलाओं व पुरुषों पर नियंत्रण करती हैं। इन नियंत्रणों का असर महिला व पुरुषों के बीच हर स्तर पर गैरबराबरी के रूप में दिखता है। यह गैरबराबरी की प्रक्रिया इस तरह से चलाई जाती है कि लोग इसे प्राकृतिक या स्वाभाविक समझने लगते हैं और इसमें से शोषण का एहसास मिट जाता है। महिला व पुरुष इन व्यवस्थाओं को बनाएँ रखने में अपना गौरव समझते हैं और जो व्यक्ति इसे बदलने या तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे गंदी महिला, गदां पुरुष, गैर सामाजिक, उद्दण्ड या समाज विरोधी करार दिया जाता है। इसको बनाए रखने में अच्छी महिला व बुरी महिला की अवधारणा बहुत अच्छी तरह काम करती है।

इसके बाद फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायें ताकि प्रतिभागी इन विषयों पर और जानकारी प्राप्त कर सकें। देखे, परिशिष्ट नं0–1

सत्र 06 – पितृसत्ता में महिलाओं व पुरूषों के लिए अधिकारों का बलिदान व इनाम का प्रभाव

उद्देश्य : सत्र के अन्त तक प्रतिभागी यह समझ पाएंगे कि पितृसत्ता में महिलाओं व पुरुषों के लिए अधिकारों के बलिदान व मिलने वाले इनाम का क्या है और यह किस तरह काम करता है।
समय : 1 घंटा
पद्धति : फ्री लिस्टिंग

गतिविधियां :

- फैसेलिटेटर सभी प्रतिभागियों से पूछे कि पुरुष लोग पितृसत्ता की व्यवस्थाओं को क्यों मानते हैं? उत्तरों को बार्ड पर लिखें। उदाहरण – प्रतिष्ठा, महत्व, संपत्ति, सुविधा, अधिकार, मौके।
- फैसेलिटेटर पुनः सभी प्रतिभागियों से पूछे कि महिलाओं को पितृसत्ता में क्या नियंत्रण है? उत्तर को बोर्ड पर लिखें। उदाहरण – आवागमन की मनाही, यौनिकता पर रोक, खुलकर हँस नहीं सकती, निर्णय नहीं ले सकती, स्वामी के अधीन रहना पड़ता है, दोयम दर्ज़ा।
- फैसेलिटेटर प्रश्न पूछें कि फिर महिलाएँ इसको तोड़ क्यों नहीं देती और प्रतिभागियों से निकलने वाले उत्तर को बार्ड पर लिखें। उदाहरण– देवी माना जाता है, माँ का दर्जा मिलता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, गहने मिलते हैं, कमा कर लाने की पाबंदी नहीं है आदि।
- उपरोक्त उत्तरों का विश्लेषण कराए कि –
  - पितृसत्ता क्या सबकी दुश्मन है?
  - पितृसत्ता में क्या हमेशा नुकसान दिखता है?
  - पितृसत्ता की व्यवस्था को लोग क्यों नहीं तोड़ पाते?

सार– फैसेलिटेटर सत्र का सार बाँधते हुए बताए कि पितृसत्ता में यदि हमेशा एक पक्ष का नुकसान होता रहेगा और कोई फायदा नहीं दिखेगा तो इसकी पोषण की राजनीति जल्दी ही लोगों के समझ में आ जाएगी। अतः यह जरूरी है कि लोगों में भ्रम बना रहे और महिलाओं को भी लगे कि उसका फायदा हो रहा है। इसके लिए उसे देवी बनाकर पूजे जाने की बात करी जाएगी और जिसके लिए उसे बलिदान देना होगा। यदि कोई महिला पहले नहीं खाती, दूसरों के दुख से दुखी होती है, पूरे परिवार की सेवा करती है, प्रश्न नहीं पूछती, कभी अपने अधिकारों की माँग नहीं करती तो वह महान है। उसे इस महानता को पाने के लिए अपने अधिकारों, इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है। हर महिला पर अच्छी महिला बनने का दबाव रहता है और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। महिला को उसके बलिदान के बाद कुछ इनाम भी समय–समय पर दिया जाता रहता है; जैसे वह अपने से कम उम्र की महिला के ऊपर सत्ता ले, या ऐशो–आराम प्राप्त कर ले। उसे कुछ गहने दे दिए जाएंगे। अच्छे कपड़े दे दिए जाएंगे, जिससे वह खुश हो जाती है। पुत्र पैदा होते ही माँ का दर्ज़ा इस प्रकार बढ़ जाता है। बलिदान व इनाम का प्रभाव बहुत ही प्रभावी ढ़ंग से काम करता है।

सत्र 07 – पितृसत्तात्मक मूल्यों व मान्यताओं को बनाये रखने वाले घटक/संस्थाएं

उद्देश्य : सत्र के अन्त तक प्रतिभागी समझ पाएंगे कि –

- कौन–कौन से घटक व संस्थाएँ हैं जो पितृसत्ता के मूल्यों व मानकों को बनाए रखती हैं?
- संस्थाएँ किस तरह पितृसत्तात्मक मूल्यों व मानकों को बनाए रखती हैं?

समय : 1 घंटा
पद्धति : समूह चर्चा

गतिविधियां :

- फैसेलिटेटर प्रतिभागियों से बड़े समूह में पूछे कि हमारे सामज में कौन–कौन से पितृसत्तात्मक मूल्य व मान्यताएँ हैं तथा उत्तर को बार्ड पर लिखें। उदाहरण –
  - महिला कमज़ोर व भाउक होती है, पुरुष पुरुष मजबूत व बुद्धिमान तथा तार्किक होता है।
  - महिला सुन्दर होती है, पुरुष रफ एण्ड टफ होता है।
  - पुरुष निडर होता है, महिला ममतामई होती है।
  - महिला को पतिब्रता होना चाहिए, महिला का सदा सुहागन होना ही अच्छा होता है।
  - पुरुष से ही वंश चलता है।
  - पुत्र द्वारा मुखाग्नि देने पर ही पिता को स्वर्ग मिलता है।
  - लड़की पराया धन होती है आदि।
- फैसेलिटेटर प्रतिभागियों के 4 समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में 7 से 8 प्रतिभागी हो सकते हैं। समूह निम्नानुसार होंगे –
  1. समूह – परिवार
  2. समूह – समुदाय
  3. समूह – धर्म

4. समूह – शासन व्यवस्था

- फैसेलिटेटर हर समूह को कहें कि समूह को दिए गए संस्था पर काम करना है। समूह आपस में चर्चा करके निकाले की उसकी संस्था (परिवार, समुदाय, धर्म व शासन व्यवस्था) किस तरह पितृसत्तात्मक मूल्यों व मानकों को बनाए रखती हैं।
- उक्त चर्चा के लिए प्रत्येक समूह के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित कर दें।
- फैसलिटेटर यह भी स्पष्ट कर दें कि सभी समूह अपने चर्चा से निकले बिन्दुओं की बड़े समूह में प्रस्तुति करेंगे।

फैसेलिटेटर सभी समूह की प्रस्तुति के बाद विश्लेषण कराए। विश्लेषण के निम्न प्रश्न हो सकते हैं –

- सभी प्रस्तुतियों में क्या समानता है?
- सभी संस्थाओं ने क्या प्रयास किया है?
- क्या संस्थाओं के प्रयासों में अर्न्तद्वन्द दिखता है? यदि हाँ तो कैसे और क्यों? यदि नहीं तो क्यों?

सार– फैसेलिटेटर सत्र का सार बाँधते हुए बताए कि परिवार, समुदाय, शासन व्यवस्था व धर्म सभी मिलकर पितृसत्तात्मक मूल्यों को बनाए रखने में आना अहम योगदान करते है। सभी संस्थाएँ एक दूसरी की पूरक हैं तथा मदद करती हैं।

फैसेलिटेटर पाठ्य सामग्री देते हुए उसे अपने–अपने समूहों में पढ़ने को कहें तथा इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित कर दें, तथा यदि किसी प्रतिभागी को समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछने के लिए प्रेरित करें। (परिशिष्ट नं0–2)

सत्र 08 – पितृसत्ता में पुरूषों पर दबाव

उद्देश्य : सत्र के उपरांत प्रतिभागी समझ पाएंगे कि पुरुष कब दबाव महसूस करता है तथा उसका पितृसत्ता से क्या संबंध है।
समय : 1 घंटा 30 मिनट
पद्धति : फिशबाल, खुली चर्चा योगाभ्यास

गतिविधिया :

- प्रतिभागियों के दो समूह बनायें तथा एक समूह को खेलने में सक्रिय भागीदारी के लिए तथा दूसरे को अवलाकेन करने को कहें। गतिविधि में भाग ले रहे समूह को अन्दर के गोले में बैठाएं तथा अवलोकन करने वाले समूह को बाहरी गोले में बैठायें। स्पष्ट करें कि अभी जो निर्देश दिये जायेंगे वे केवल (अन्दर के गोले में बैठे) प्रतिभागिता निभा रहे समूह के लिए हैं।

- प्रतिभागियों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहें। प्रतिभागियों से धीरे–धीरे सांस लेने को कहें तथा इसके बाद उन्हें धीरे–धीरे आँख बन्द करने को कहें। प्रतिभागियों को स्वयं पर एकाग्रचित होकर स्वयं के सांस की आवाज सुनने को कहें।
- प्रतिभागियों को बतलायें कि एक प्रश्न दिया जायेगा, जिसका जवाब बारी–बारी से सभी को देना होगा। जिस प्रतिभागी को प्रशिक्षक छुयेगा, वहां से जवाब का चक्र (राउण्ड) प्रारम्भ होगा। हर प्रतिभागी अपना जवाब आँख बन्द करके ही देगा। जवाब तुरन्त देना होगा। यदि तुरन्त जवाब नहीं सूझता तो उसे अपने बायें बैठे व्यक्ति की कलाई को दबाकर "पास" बोलना होगा। जो कोई जवाब दें वह जवाब पूरा होने के बाद अपने बाँये व्यक्ति की कलाई को दबायेगा जिससे दूसरा व्यक्ति समझ जायेगा कि अब उसे जवाब देना प्रारम्भ करना है।
- सभी प्रतिभागियों के लिए प्रश्न "वाक्य पूरा करें" की "हम तब अपमानित होते हैं जब ....प्रत्येक व्यक्ति को बारी–बारी से उत्तर देने दें।
  1. खेल उस समय बन्द करें जब लगभग सभी लोग "पास" बोल रहे हों।
  2. यह हो सकता है कि शुरू में ज्यादा लोग "पास" बोलें किन्तु खेल का चक्र चालू रहना चाहिए।
  2. खेल समाप्त कर सभी प्रतिभागियों को बड़े गोले में बैठने को कहें।
  3. खेल में भागीदार प्रतिभागियों से निम्न सवालों पर उनके अनुभवों को पूछें कि –
     - उनको अभी कैसा महसूस हो रहा है?
     - खेल के समय कैसा महसूस हो रहा था?
     - शुरू में क्या कठिनाई आ रही थी?
     - अभी क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं?
  4. दूसरा समूह जो खेल में सीधे भागीदारी नहीं कर रहा था, बल्कि अवलोकन कर रहा था, उनसे प्रश्न पूछें कि –
     - उन्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है?
     - खेल देखते समय मन में क्या–क्या विचार उठ रहे थे?
     - समाज में किन–किन समूहो ंको अपमानित होना पड़ता है?

  5. अंत में फैसलिटेटर, प्रतिभागियों से पूछे कि ये जो अपमानित होने की परिस्थिति थी उनका पितृसत्ता से क्या संबंध है?

सार– फैसलिटेटर सार बाधते हुए बताएं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में हमेशा पुरुषों के पास सत्ता नहीं होती या यों कहें कि सभी पुरुषों के पास सत्ता नहीं होती किंतु सभी पुरुषों के दिमाग में एक एहसास होता है कि उनके पास पुरुष होने के नाते सत्ता होनी चाहिए। जब उनके पुरुषत्व को चुनौती मिलती है तो उन्हें अपमान महसूस होता है। बहुत सारे (पीयर) साथी पुरुष की इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि पुरुषों के हाथ में नियंत्रण होना चाहिए। पुरुष को भी लगता है कि वह अपना पुरुषत्व तभी दिखा पाएगा जब वह जहाँ तक संभव हो लोगों पर नियंत्रण करता रहे। यदि पुरुष पित्तृ सत्तात्मक मूल्यों के मामले में कमजोर पड़ता है तो उसे जलील होना पड़ता है जो गलत है तथा मानव के सजृनात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है।

दूसरा दिन

सत्र 01 – पहले दिन का रिकैप

उददेश्य :

- प्रतिभागी पहले दिन हुई चर्चाओं से कितनी जानकारी व समझ बन पाई, इसका आंकलन कर पायेगें।
- पहले दिन के सत्रों के आधार पर प्रतिभागियों के कन्फयूजन पर स्पष्टता बन पायेगी।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग
समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरूआत किसी सामूहिक गीत से करवायें।
2. इसके बाद प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि पहले दिन हुई चर्चाओं के बारे में क्या सीख बनी तथा अभी कौन सा विषय है जिस पर और जानकारी चाहिये, बताने के लिए कहें।
3. पहले सभी प्रतिभागियों से बारी–बारी से उनकी सीख को बताने के लिए कहें।
4. प्रतिभागियों की सीख के बाद किसी विषय में कन्फ्यूजन या जो समझ में न आया हो, उसको बताने के लिए कहें। फैसलिटेटर निकलने वाले बिन्दुओं को चार्ट में लिखते जाय।
5. अंत में फैसलिटेटर को चाहिये कि निकले हुए बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट करें।

सत्र 02 – हिंसा व हिंसा के विभिन्न स्वरूपों पर समझ

उददेश्य : प्रतिभागी हिंसा की अवधारणा एवं हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को समझ पाएँगे।
समय : 90 मिनट
पद्धति : सामूहिक चर्चा व प्रस्तुतीकरण
सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर

गतिविधि 01 :

- प्रतिभागियों को पूछें कि हिंसा शब्द सुनते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रतिभागी जो उत्तर बताते हैं उसे बार्ड पर लिखते जाय। प्रतिभागियों के सम्भावित जबाब इस प्रकार के होंगे–

मारना, बलात्कार, छेड़छाड़, आगजनी, गाली देना, थप्पड़ मारना, गोली मारना, जला देना, कुचल देना, गला दबाना, आत्महत्या, बाल खींचना, भूखा रखना, दंगा फसाद, अश्लील चित्र दिखाना, जबरदस्ती, बन्धक बनाना, कपड़े फाड़ना, धक्का देना, आंख मारना, दांत से काटना, बाहर न निकलने देना, पैसा न देना आदि।

- इस तरह प्रतिभागियों के द्वारा लिखे जबाबों के आधार पर फैसलीटेटर हिंसा की एक परिभाषा तैयार करने को कहे। यदि प्रतिभागी सही परिभाषा निकाल पाये तो ठीक है नहीं तो फैसलीटेटर बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखकर बताये।

किसी भी व्यक्ति द्वारा जाने या अनजाने तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया ऐसा कृत्य या व्यवहार जिससे उसे चोट पहुंचती है या पहुंचने की संभावना है उसे हिंसा कहते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई हिसां की परिभाषा निम्न हैं –

किसी के भी द्वारा सोच समझ कर धमकी के रूप में अथवा क्रियात्मक रूप में व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय पर किया गया बल प्रयोग जो चोट, मृत्यु या मानसिक चोट/हानि के रूप में प्रत्यक्षतः उपजता है या उपजने का खतरा है या जिससे व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध होता है या वंचना होती है– हिंसा है।

प्रशिक्षक यह बताएँ की समाज में हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं – जेंडर आधारित हिंसा उसमें से एक है।

गतिविधि 02 :
फैसलिटेटर पुनः प्रतिभागियों का ध्यान बोर्ड में लिखे हिंसा के शब्दों पर ले जाये और उन शब्दों को तीन खानों में विजाजित करने के लिए कहे लिखते वक्त यह दिमाग में रखें कि प्रतिभागियों के दिए गए जबाब को निम्न तीन खानों में लिखें –

- स्वयं पर हिसां
- दूसरों पर हिसां
- समूह/समुदाय के प्रति हिंसा

प्रतिभागियों से पूछें कि उनके द्वारा दिये गए जबाब सही खानों में विभाजित हुए हैं या नहीं ? क्या कोई जबाब वे बदलना या जोड़ना चाहते हैं?

निर्देश – ''स्वयं के प्रति हिंसा'' खाने में अगर कम या कोई नहीं जबाब आते हैं तो प्रशिक्षक अपनी ओर से एक या दो उदाहरण देकर प्रतिभागियों को जोड़ने को कहें जैसे खुद को चोट पहुँचना, आत्महत्या आदि। इस बात को दुहराएँ की समाज में जो हिसां होती है उसे हम इन तीन स्वरूपों में देख सकते हैं।

गतिविधि 03 : जेंडर आधारित हिसा व हिंसा के प्रकार

प्रतिभागियों से खुली चर्चा करायें कि जेंडर आधारित हिंसा क्या है? हम जेंडर आधारित हिंसा से क्या समझते हैं? फैसलीटेटर खुली चर्चा के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिभागियों के अनुभवों को सुनें जैसे –

- हिंसा किस–किस पर होती है?
- हिंसा कौन–कौन करता है?
- हिंसा करने वालों के बीच रिश्ते क्या–क्या होते हैं?
- हिंसा की मान्यता कहाँ से आई?

सार– फैसलिटेटर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के स्वरूप पर जेंडर आधारित परिभाषा को बताने का प्रयास करे जैसे– किसी महिला को महिला समझकर जब उसके साथ शाररिक, मानसिक, यौनिक व आर्थिक हिंसा की जाती है वह जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है।

इसके बाद फैसलिटेटर महिलाओं पर होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसाओं के बारे में निम्न प्रकार से स्पष्टता लायें –

महिलाओं पर हिंसा के स्वरुप

शारीरिक प्रताड़ना	मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक हिसां	यौन हिसां	व्यवहार नियंत्रण
शारीरिक हमला तथा अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए धमकी का प्रयोग	जबरदस्ती बुरा बर्ताव तथ व्यक्ति के आत्मसम्मान व मूल्य को गिराना है ताकि वह अपने प्रताड़क पर अधिक निर्भर हो जाए और डर जाए	शारीरिक शक्ति या शारीरिक दबाव के द्वारा महिलाओं को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना	यह शक्ति संबंध तथा भेदभाव पितृसत्तात्मक रिवाजों का परिणाम होता है
मुक्के मारना पीटना गला दबाना मारना जलाना व्यक्ति पर चीजें फेंकना लात मारना, धकियाना चोट करने के लिए चाकू, हंसिया या छड़ जैसे – धारदार हथियार का इस्तेमाल	गाली आलोचना धमकी बेइज्जती नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां करना	जबरन लिंग प्रवेश/बलात्कार यौन हमला, जबरन यौन सम्पर्क यौन उत्पीड़न यौन संबंध के लिए महिला को मजबूर करने के ऐ डराना–धमकाना अपहरण जबरदस्ती शादी	महिला को घर से बाहर काम ने करने देना आर्थिक नियंत्रण व्यक्ति को अलग थलग करना उनके आने जाने पर नज़र रखना जानकारी/सूचनाओं तक पहुंच पर रोक लगाना

सार – सत्र के अन्त में प्रतिभागियों को यह स्पष्ट करा दें कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को लिस्ट में बांध कर नहीं रखा जाता सकता है क्योंकि महिलाओं के साथ तरह–तरह की यातनाएं दी जाती हैं जो कि हिंसा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर महिलाओं के साथ हिंसा न होती हो। फैसलिटेटर प्रतिभागियों के अनुभवों को जोड़ते हुए महिला के जीवन काल में हिंसा किस तरह व्याप्त है चर्चा कराये व सत्र के अन्त में यह सार निष्कर्ष जरूर स्थापित करे कि इन्हें रोका जा सकता है।

सत्र 03 : पुरूषों का डर व हिंसा

उद्देश्य : सत्र के अन्त में प्रतिभागी डर, प्रतिक्रियाओं व हिंसा के बीच के सम्बन्धों को समझ पाएंगें।
समय : 60 मिनट
पद्धति : ब्रेनस्टार्मिंग

गतिविधियां :

1. प्रतिभागियों से पूछे कि पुरूषों को गुस्सा कब–कब आता है। घर के अन्दर, घर के बाहर। प्रशिक्षक निम्न खाके में प्रतिभागियों द्वारा बताये गये बिन्दुओ को लिखें।

घर के अंदर	डर का कारण	घर के बाहर	डर का कारण

2. इसके बाद गुस्से का कारण क्या है प्रतिभागियों से पूछें और उपरोक्त चार्ट में लिखें। (कम आने पर पहल करें और जोड़े)
3. घर के अंदर व बाहर महिलाओं पर हिंसा से सम्बन्धित निकले कारणों को लेकर निम्न बिन्दुओं के आधार पर विश्लेषण करें –
   - पुरूष क्यों महिला से सम्बन्धित गुस्सा के कारणों को सहन नहीं कर पाता है।
   - पुरूष के इस गुस्से की परिणित क्या होती है। पत्नी, बच्चों, स्वयं पर या अन्य सदस्य पर हिंसा।
   - इस हिंसा का असर स्वयं, परिवार, समुदाय पर क्या पड़ता है।
   - क्या पुरूष अपनी पक्ष रखने के लिए मुखर होता है। यदि हां तो महिलाओं को अपना पक्ष रखने के लिए उनका मुखर होना क्यों गलत है।

सार – हिंसा के होने का मुख्य कारण पत्नि/महिला का मुखर होना होता है। जेण्डर सम्बन्धों में पुरूष यह क्यों नहीं स्वीकारता कि पत्नी को भी अपना पक्ष रखने के लिए मुखर होने का अधिकार है। अपनी बात रखना या मुखर होना दोनों का अधिकार है। यदि कुछ पुरूष निर्णय लेने में गलत हो सकते हैं तो कुछ बार महिला भी गलत हो सकती है किन्तु हर बार महिला के निर्णय को दबाया जाता है या उसके मुखर होने पर गुस्सा होना या उस पर हिंसा को उचित ठहराना जाता है यह सही नहीं है। हिंसा हर हाल में गलत व अस्वीकार है हिंसा आप अपने साथ करे या पत्नी के ऊपर अंततः पूरे परिवार का नुकसान होता है। हिंसा हमेशा महिला पुरूष के बीच सत्ता सम्बन्धों रिश्तों का परिणाम है। यदि हमें रिश्तों में समानता लाना है तो पुरूष को भी सीखना पड़ेगा कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिस घर में हिंसा होती है, उस परिवार के सभी सदस्य हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं।

सत्र 04 : हिंसा का असर

उद्देश्यः सत्र के उपरान्त प्रतिभागी –
1. स्वयं के हिंसा को समझ पायेंगे।
2. हिंसा पर संवेदनशीलता की ओर बढ़ेंगे।
3. हिंसा के प्रभाव को महसूस कर पायेंगे एवं दूसरों के प्रति संवेदनशील रहेंगे।

समय : 1 घंटा
पद्धति : समूह कार्य

गतिविधि 01 :
1. प्रशिक्षक यह बताएँ कि पिछले सत्र में हमने महिलाओं पर होने वाली जेण्डर आधारित हिंसा को समझा था। अब हम इसका महिलाओं और पुरूषों पर होने वाले असर को समझेगें।

2. प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित करें। दो समूहों को यह बताएँ कि पुरूष–पुरूष हिंसा का पुरूषों पर क्या असर होता है, इसके बारे में सोचे और चार्ट पर लिखें अन्य दो समूहो को यह बताएँ कि वह पुरूषों द्वारा महिलाओं पर होने वाली हिंसा का महिलाओं पर क्या असर होता है इसके बारे में सोचें और चार्ट पर लिखें।
3. इससे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगें कि कौन सी हिंसा पुरूष– पुरूष में और कौन से पुरूष –महिलाओं में होती हैं तथा इसके कारण क्या हैं?
4. प्रशिक्षक चार्ट/बोर्ड पर निम्न ढाँचा लिखें –

पुरूष –पुरूष हिंसा – कौन कौन से पुरूष में हिंसा होती है?	हिंसा के क्या–क्या कारण हो सकते है?
उदाहरण. भाई–भाई पड़ोसी पुरूष	उदाहरण जमीन, सम्पत्ति, घर जमीन, घर, बच्चों को लेकर

5. अब प्रशिक्षक पुरूष और महिलाओं के बीच में होने वाली हिंसा को तथा उनके कारणों को समझने के लिए निम्न ढाँचे का प्रयोग करें –

पुरूष –महिला पर हिंसा कौन से पुरूष द्वारा कौन सी महिला पर हिंसा	कारण
पती द्वारा पत्नी	

पिछले सत्र में हमने देखा है कि पुरूषों द्वारा महिलाओं पर होने वाली हिंसा किस तरह से जेण्डर आधारित है। अब हम पुरूष–पुरूष हिंसा के चार्ट को विस्तार से चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रशिक्षक विश्लेशण करें।

6. बोर्ड या चार्ट पर पुरूष – पुरूष हिंसा के निम्न क्षेत्रों (DOMAIN) को चित्रित करें –

परिवार में पुरूष	पहचान वाले गांव/	अजनबी पुरूष	अन्य व्यापक सन्दर्भ में
उदाहरण भाई–भाई	उदाहरण पड़ोसी राजनैतिक जाति	उदाहरण. मैदान ट्रेन–बस	उदाहरण छंगे युद्ध गैंगवार

प्रतिभागियों के साथ पुरूष–पुरूष के हिंसा के इन क्षेत्रो के विस्तार से चर्चा करें और यह स्थापित करें कि पुरूषों के बीच होने वाली हिंसा भी व्यापक है और विभिन्न स्वरूपों में होती है और इसके कई कारण होते हैं।

7. समूहों को अपने–अपने प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
8. सभी समूहों के प्रस्तूतिकरण के बाद प्रशिक्षक पुरूष और महिलाओं पर होने वाली हिंसा के असर को निम्न ढाँचे के आधार पर विभाजित करते हुए सत्र का सार बाँधे–
   - हिंसा के शारीरिक असर
   - हिंसा के मानसिक असर
   - हिंसा से माहौल पर असर
   - हिंसा का परिवारों में असर
   - हिंसा का समाज पर असर

प्रशिक्षक के लिए सन्दर्भ नोट :
महिलाओं पर हिंसा के असर—

- जागरूकता की कमी, विकास में बाधा
- आत्मसम्मान की कमी
- मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ : जैसे चिन्ता, सरदर्द
- उलझन और सोने की समस्या
- गंभीर चोट, हड्डी टूटना, जलना, कट जाना, पेट दर्द यह समस्या लम्बे समय तक चलना
- यौन स्वास्थ्य की समस्याएँ, गर्भपात, एच0आई0वी0
- यौन के प्रति अनिच्छा का निर्माण होना
- हमेशा डर या भय, आत्महत्या के विचार या मौत
- आवागमन पर नियंत्रण

पुरूषों पर हिंसा के असर

- शारीरिक चोट, निशान
- गुस्सा, आक्रामक व्यवहार या हीन भावना का शिकार
- चिन्ता, उलझन या जोखिम उठाने का डर जिसमें नशा करना, अपने से कमजोर को पीटना, मारना, यौन सम्बन्धित जोखिम उठाना।
- नफरत, चिड़चिडापन ऐसी नकारात्मक भावनाओं का निर्माण होना।
- गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना, मानसिक बिमारियाँ, रक्तचाप, हृदय रोग।
- सम्बन्धों में तनाव, अशान्ति।
- आर्थिक या सम्पत्ति, जान—माल का नुकसान।
- मौत दुर्घटना।
- समाजिक तिरस्कार (Social Exclusion)

समुदाय पर असर

- हिंसा का वातावरण पनपना
- महिलाए अन्य कमजोर घटक असुरक्षित महसूस करेंगे
- डर का माहौल असुरक्षा का भाव सभी के मन में रहेगा
- सभी के लिए विकास के मौकों में कमी आ सकती है, समुदाय में तिरस्कार की भावना
- उत्पादकता पर असर, बिखरा समाज
- सबसे बुरा असर सबसे कमजोरों पर होगा
- अविश्वास बना रहेगा

सत्र 05 : घरेलू हिसां व घरेलू हिंसा कानून

उददेश्य : प्रतिभागी घरेलू हिंसा कानून पर जानकारी व समझ बढ़ा पायेंगे।
समय : 1 घंटा
पद्वति : फिल्म स्क्रीनिंग व चर्चा,
सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर

गतिविधियां :

- सर्वप्रथम फैसलिटेटर द्वारा घरेलू हिंसा के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट किया जाना चाहिये ताकि वे फिल्म देखने के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान दे सकें। जैसे घरेलू हिंसा कानून क्या है? कानून को समझना क्यों जरूरी है?
- इसके बाद प्रतिभागियों से पूछें कि आपमें से कितनों को इस कानून के बारे में मालूम है। सम्भव हो कुछ प्रतिभागी जानते हों। यदि कोई कहता है मुझे मालूम है तो उससे जानकारी को साझा करवायें।
- इसके बाद फैसलिटेटर दिखाई जाने वाली फिल्म के बारे में देखनें के लिए सभी को प्रोत्साहित करें।
- फिल्म देखने के बाद फैसलिटेटर निम्न बिन्दुओं पर विस्तार के साथ चर्चा करे तथा प्रतिभागियों के अनुभवों को सुने –
    - महिलाओं के साथ किस–किस तरह की हिंसा हो रही है।
    - हिंसा करने वाले कौन–कौन लोग थे।
    - पुरूष क्यों हिंसा कर रहे थे।
    - महिला ने कैसे डीआईआर दर्ज किया।
    - कितने समय बाद सुनवायी हुई।
    - भरण पोषण के लिए क्या किया गया।
    - कानूनी लड़ाई में क्या महिला का पैंसा खर्च हुआ।
    - निर्णय किसके हक में था आदि।

- फैसलिटेटर निम्न प्रश्नों के आधार पर प्रतिभागियों से पुनः कानून के बारे में पूछें तथा उनकी स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करें –
    - कानून का पूरा नाम क्या है (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005)
    - कानून की खासियत क्या है (यह सिविल कानून है)
    - इसमें अपराधी केवल पुरूष हो सकता है (महिलाएं नहीं)
    - भरण पोषण का दावा किया जा सकता है।
    - यह कानून परिवार रिश्ते के अन्दर हिंसा को रोकने की बात करता है।
    - महिला को घर से बाहर नहीं निकाला जा जा सकता है (पुरूष को बाहर रहना पड़ेगा)
    - इसकी शिकायत कोई भी कर सकता है (उसे गवाह के रूप में नहीं देखा जायेगा)
    - तत्काल फौरी राहत की बात की गई है।
    - जिला स्तर पर सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
    - यह कानून पुरूष विरोधी नहीं बल्कि हिंसा विरोधी है।
    - केस का निस्तारण प्रकिया जल्दी होती है।

फिल्म पर प्रतिभागियों के कोई सवाल या शंकाएं हों तो फैसलिटेटर प्रतिभागियों से पूछे तत्पचात् सत्र का समापन करें।

सत्र 06 : महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने में पुरूषों की भूमिका

उद्देश्य : प्रतिभागी महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने में अपनी भूमिका को समझ पायेगें।

समय : 1घंटा

पद्वति : सामूहिक चर्चा

सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम फैसलिटेटर को चाहिये कि वे प्रतिभागियों को स्वंय के स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए भूमिका को पहचाने तथा परिवार के स्तर पर क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी बात को रखें।
2. इसके बाद प्रतिभागियों से समुदाय, कालेज तथा गांव स्तर पर लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए समूह के साथ मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर अपनी भूमिका को पहचानते हुए अपनी बातों को रखें।
3. फैसलिटेटर को चाहिये कि वह प्रतिभागियों द्वारा निकाली गई बातों को दो अलग–अलग चार्टो पर लिखते जाय।
4. दोनो चार्टो में निकले बिन्दुओं के आधार पर फैसलिटेटर द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों व सामूहिक हस्तक्षेप हेतु रखी जाने वाली सावधानियों तथा अधिकारगत नजरियें से पहल हेतु जरूरी इनपुट (जैसे कानूनी प्रक्रिया व सामूहिक पहल अपनाने) दिया जाना चाहिये ताकि महिलाओं के साथ हिंसा जो विभिन्न स्वरूपों में होती है, को रोका जा सकें।
5. फैसलिटेटर द्वारा प्रतिभागियों को यह भी बताया जाना चाहिये कि किसी प्रकार की परेशानी आने पर वे संस्थागत स्टाफ (फैसलिटेटर) व मेन्टर की मदद जरूर लें तथा उनके साथ घटना की पूरी शेयरिंग करें।

सत्र 07 : फिल्म प्रर्दशन व परिचर्चा

उद्देश्य : फिल्म के माध्यम से पिछले सत्रों में हुई चर्चाओं को जोड़ते हुए महिलाओं पर हिंसा, हिंसा के स्परूपों व उसके कारणों पर जानकारी व समझ बनाना।

समय : 120 मिनट

पद्वति : फिल्म प्रदर्शन व बड़े समूह में चर्चा

सामग्री : प्रोजेक्टर, फिल्म 'अस्तित्व', साउण्ड सिस्टम

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों को दिखाई जाने वाली फिल्म के बारे में बता दे तथा यह भी स्पष्ट कर दें कि आज के दिन हुई चर्चाओं तथा मिली जानकारी के आधार पर समझने का प्रयास करें।
2. प्रतिभागियों को उनकी सुविधा के अनुसार हाल में कहीं भी बैठनें के लिए प्रोत्साहित करें।

3. जब फिल्म चल रही हो तो प्रतिभागियों पर नजर रखें कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नही हो रही।
4. फिल्म देखनें के बाद प्रतिभागियों के साथ निम्न बिन्दुओं के आधार पर समीक्षा करें –
   - फिल्म में क्या हो रहा था?
   - फिल्म में किस–किस तरह की हिंसा दिखाई दे रही थी?
   - हिंसा के पीछे क्या–क्या कारण थे?
   - हिंसा का महिलाओं पर क्या असर पड़ा?
   - क्या जैसा फिल्म में दिखाया गया है वैसा आज भी हमारे समाज में होता है?
   - महिलाओं पर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
   - क्या हिंसा को समाप्त किया जा सकता है?

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चाओं के बाद दूसरे दिन के प्रशिक्षण का समापन करें।

तीसरा दिन

सत्र 01 – दूसरे दिन का रिकैप

उददेश्य :

- प्रतिभागी दूसरे दिन हुई चर्चाओं से बनी सीख व जानकारी का आंकलन कर पायेगें।
- प्रतिभागियों की दूसरे दिन के सत्रों पर यदि कोई कन्फयूजन है, पर स्पष्टता बन पायेगी।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग
समय : 60 मिनट
सामग्रीः चार्ट, मार्कर

गतिविधियां :

- तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरूआत किसी सामूहिक गीत से करवायें।
- फैसलिटेटर, प्रतिभागियों के साथ कोई गतिविधि भी करवा सकते हैं।
- इसके बाद प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि दूसरे दिन हुई चर्चाओं से क्या सीख बनी इस पर सभी प्रतिभागी बारी–बारी से बतायें। जो प्रतिभागी न बोल रहा हो फैसलिटेटर उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद फैसलिटेटर दूसरे दिन की गई चर्चाओं में अभी कौन सा विषय है जिस पर और जानकारी चाहिये या किसी तरह का कोई कन्फूजन हो तो प्रतिभागियों को बताने के लिए कहें।
- फैसलिटेटर को चाहिये कि वह प्रतिभागियों से निकलने वाले बिन्दुओं को अपने नोट पैड में लिखते जाय ताकि प्रतिभागियों को समझाते समय कोई बिन्दु छूट न जाय।
- अंत में फैसलिटेटर को चाहिये कि निकले हुए बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट करें।

सत्र 02 : समूह की अवधारणा एवं महत्व

सत्र का उदद्ेश्य–

- प्रतिभागी एनीमीटर्स की, समूह की अवधारणा व महत्व पर जानकारी व समझ बढ़ाना।
- प्रतिभागी एनीमीटर्स की, समूह संचालन पर जानकारी व कौशल बढ़ाना।

समय : 60 मिनट

पद्वति : बड़े समूह में चर्चा व खेल

सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर

गतिविधिय नं0 1 :

1. फैसलिटेटर, प्रतिभागियों से खुली चर्चा करते हुए पूछे कि जब हम समूह कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाली बातों को चार्ट में लिखते जाय।
3. इसके बाद प्रतिभागियों से समूह की एक परिभाषा लिखने के लिए कहें।
4. फैसलिटेटर को चाहिये कि वह प्रतिभागियों के साथ मिलकर समूह को परिभाषित करे।
5. फैसलिटेटर समूह और भीड़ के अन्तर को प्रतिभागियों के साथ फर्क करें ताकि वे समूह के बारे में स्पष्ट रूप से जान पायें।

गतिविधि नं0 2 :

प्रतिभागीयों से कहें कि आपको अभी हम एक खेल कराने जा रहे हैं खेल इस प्रकार से है कि इस बन्द टोकरी यां र्चाट पेपर से ढ़के में बहुत सारा सामान पड़ा है (फैसलिटेटर इसकी तैयारी पहले से कर लें) आपको यहां आकर सामानों की पहचान कर उसकी लिस्ट तैयार करनी है लेकिन इसके लिए कुछ नियम बने हैं जैसे–

- सभी को एक साथ आकर देखना है बहुत कम समय दिया जायेगा।
- वापस जाकर अपने नोट पैड पर सामानों की लिस्ट तैयार करनी है
- अपने किसी साथी को नहीं बताना है क्योंकि जो बतायेगा वह खुद ही हार जायेगा।

1. इसके बाद फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों को 30 सेकण्ड में सामानों को देखनें तथा इसके बाद वहां से हटकर उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए कहें।
2. इसके बाद फैसलिटेटर चार्ट में प्रतिभागियों से पूछकर उनके नाम के आगें चिन्हित सामानों की संख्या लिख दे।
3. इसके बाद तीन–तीन के जोड़े में बारी–बारी से आकर 30 सेकण्ड में रखे सामानों को पहचानने और उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को कहें। और फिर सहजकर्ता जोड़ी के नामों के आगे सामानों की संख्या चार्ट पर लिख दे।
4. अंत में 6 या 7 की संख्या के आधार पर समूह बनाते हुए बारी–बारी से आकर 30 सेकण्ड में रखे सामानों को पहचानने और अपने समूह में सामानों की सूची बनाने के लिए कहें। तथा समूह के आगे चिन्हित किये गये सामानों की संख्या लिख दें।

अन्त में सहजकर्ता निम्न सवालों के साथ चर्चा करायें –

- चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है?
- जब अकेल जाकर सामानों की सूची बनाना पड़ा तब क्या दिक्कतें आई?
- सामान की लिस्ट में कब और कैसे अन्तर आ रहा है?
- इस अन्तर का क्या कारण नजर आ रहा है?

सार – तत्पश्चात् फैसलिटेटर बड़े समूह में चर्चा कराये कि समूह के महत्व पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि जैसे आपने खेल में देखा कि जब व्यक्ति अकेला था तब वह सामान की लिस्ट तैयार करने में असहाय लग रहा था लेकिन जब वह समूह से जुड़ा तो उसे फायदा मिलने लगा अतः कमजोर को मदद मिलती है कठिन काम आसान हो जाता है सभी में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।

समूह में सहभागी नेतृत्व –
समूह में सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी बटी थी, लोग जिज्ञासा व रूचि के साथ अपना कार्य कर रहे थे जैसे कि आपने खेल में देखा –

- एक दूसरे की मदद कर रहे थे।
- सभी में नेतृत्व दिख रहा था।
- काम का विभाजन किया जा रहा था।
- सभी लोग जबाबदेह थे।

सत्र 03 : समूह संचालन एवं अन्तर्द्वन्दों का प्रबन्धन

सत्र का उददेश्य –

- प्रतिभागी एनीमीटर्स की समूह संचालन पर जानकारी व समझ बढ़ाना।
- प्रतिभागी एनीमीटर्स की समूह के अन्दर चलने वाले अन्तर्द्वन्दों की पहचान व प्रबन्धन पर जानकारी व कौशल बढ़ाना।

समय : 90 मिनट
पद्वति : समूह अभ्यास व बड़े समूह में चर्चा
सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर
गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित करें।
2. एक समूह को गोल घेरे में हाल के बीच में बैठा दें तथा दूसरे समूह को पहले घरे के बाहर बैठा दें।
3. पहले समूह को निर्देशित करें कि वह अपने बीच में एक एनीमेटर का चुनाव कर लें जिसके बाद उन्हें निम्न किसी एक समस्या को लेकर समूह की बैठक संचालित करना है। इसके लिए समूह को 30 मिनट का समय निर्धारित कर दें।
    - गॉव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है।

- दो व्यक्ति समूह बैठक के स्मान को लेकर नाराज हैं वो समूह छोड़ रहे हैं।
- एक समूह साथी ने बताया है कि मेरे बहन की कम उम्र में शादी हो रही है।
- एक समूह सदस्य अपने घर में मदद करता है व उसके पड़ोसी लड़के उसे चिढ़ाते हैं और वह परेशान है।

4. दूसरे समूह को बिना कुछ बोले समूह की प्रक्रियाओं को देखने तथा यदि उनके मन में किसी तरह का कोई सवाल आ रहा हो तो उसे अपने नोट पैड में लिखने के लिए कहें।
5. समूह संचालन प्रक्रिया के बाद सबसे पहले पहला समूह के सदस्यों को अपने अनुभव शेयर करने के लिए कहें। इसके बाद बाहर बैठे दूसरे समूह के सदस्यों को उनके अवलोकन के आधार पर अपनी बात रखने के लिए कहें।
6. दोनों समूहों के अनुभवों के बाद फैसलिटेटर को चाहिये कि इस पर अपना फीड बैक दें तथा निम्न सवालों के आधार पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा कराये –
   - ग्रुप संचालन के वक्त कौन–कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
   - ग्रुप में उत्पन्न में अर्न्तद्वन्दों का निपटारण कैसे किया जाता है?

फैसलिटेटर के लिए : समूह से सम्भवतः निम्न प्रकार की जानकारी निकलकर आयेगी–

ग्रुप संचालन के वक्त कौन–कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है –

- एनीमेटर को विषय की जानकारी व स्पष्टता होना।
- एनीमेटर की भाषा व बोली सरल व सहज हो।
- समूह सदस्यों को बैठाने का तरीका ऐसा हो कि सभी का चेहरा दिखें।
- सहभागी चर्चा बनाये रखना तथा सभी को जोड़े रखना।
- सभी सदस्यों को बोलने के लिए जगह देना तथा जो सदस्य नही बोल रहे हैं उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- चर्चा अगर भटक रही हो तो सदस्यों को मूल बिन्दु पर लाना।
- सभी सदस्यों की बातों का सम्मान करना।
- जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में टीका टिप्पणी न करना।

ग्रुप में उत्पन्न में अर्न्तद्वन्दों का निपटारण कैसे किया जाता है –

- समूह सदस्यों के प्रकारों को समझना
- अर्न्तद्वन्दों के कारणों को जानना
- समूह में अचेतन प्रकियाएं क्या चल रही है उसको समझना तथा निकलवाना
- समूह में आपसी संवाद को बढ़ाना
- सामूहिक निर्णय लेना
- हावी होने वाले सदस्यों को दूसरों की बातों को सुनने हेतु प्रेरित करना
- कम बोलने वालों को ज्यादा मौका देना

- समूह के बीच कुछ सबूत पेश करना
- आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रियाओं पर जानकारी रखना तथा मददगार व्यक्तियों पर चर्चा करना

सत्र समापन के बाद सहजकर्ता प्रतिभागियों को कोई खेल करायें जैसे– बाघ बकरी या कोई अन्य।

सत्र के अन्त में सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों से पुनः पूछे कि समूह संचालन को लेकर यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछें अन्यथा सत्र का समापन करें।

सत्र 04 : कार्यशाला मूल्यांकन एवं भावी नियोजन

सत्र का उददेश्य :

- प्रतिभागियों की जानकरी व समझ का स्तर कितना बढ़ पाया जानना।
- प्रतिभागी प्रशिक्षण के बाद व्यक्तिगत व गांव के स्तर पर बदलावों का नियोजन करना।

समय : 60 मिनट
पद्वति : व्यक्तिगत मूल्यांकन व नियोजन
सामग्री : चार्ट पेपर, मारकर, ए–4 सीट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए सहजकर्ता प्रतिभागियों को पहले से तैयार एक प्रश्नावली सूची दें/चार्ट पर लिखकर चिपका दें।
2. इसके बाद फैसलिटेटर सभी सवालों को पढ़कर प्रतिभागियों को स्पष्ट करें जिसके बाद प्रतिभागियों से सवालों का जवाब लिखने के लिए कहें।
3. प्रतिभागियों से मूल्याकंन व नियोजन की प्रति को इकट्ठा कर लें।

क्र0	विषय	प्रतिभागी के विचार
1.	इस प्रशिक्षण से आप कितनी जानकारी व समझ बढ़ा पायें, आप अपने आप को कितना अंक देंगे?	(10 में से आप कितने अंक देगें।) ....
2.	आपकी अपेक्षाएं कितना पूरी हो पाई?	(10 में से आप कितने अंक देगें।) ....
3.	कौन–कौन सी अपेक्षाएं रह गई?	1. 2. 3.
4.	सत्र के दौरान कौन से तरीके आपको प्रभावी लगे?	(लिखकर बताएं) 1. 2. 3. 4.
5.	क्या आपको अपनी बातों को रखने का मौका मिला?	(10 में से आप कितने अंक देगें।)

6.	आप अपने में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? ▪ घर/परिवार स्तर पर हिंसा रोकने के लिए ▪ समुदाय स्तर पर हिंसा रोकने के लिए ▪ अपने समूह को मजबूत करने के लिए	1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
7.	भविष्य में क्या आप इस तरह के प्रशिक्षणों भाग लेना चाहेंगे?	हां या नहीं
8.	आगामी प्रशिक्षणों को और बेहतर बनाने के लिए अन्य कोई सुझाव जो आप देना चाहते हो	1. 2. 3.

कार्यशाला समापन से पहले फैसलिटेटर सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करें तथा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें कि बनी सीख का उपयोग वे अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने गांव में समूह के सदस्यों के साथ आगे बढ़ाने में करेगें ताकि हिंसा मुक्त समाज बन सके। पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करें।

‘Responsible Partner and Caring Father’

(समझदार जीवन साथी–जिम्मेदार पिता)

Working with men and boys for Gender Equality and Securing Child Rights

Draft Training Session Plan- 2nd Phase

Main Objectives –

- To understand how patriarchy operates, what are the institutions and how they operate to maintain the patriarchy?
- To understand the impact of patriarchy on men, women and on society.
- To understanding status and impact of violence against women and children in family and society.
- To build understanding and skill on group meeting facilitation

Materials - Flipchart, Marker, Projector, Film

S. No.	Description/Topics	Objectives	Method	Time
DAY- ONE	**Patriarchy and Power**			
1	Welcome, Introduction, Objective	▪ Participants will able to know about each other	Individual	30 M
2	Expectation and Ground rules	▪ To establish the expectations from participating in the Program ▪ To create the group commitment for the program.	Open discussion	30 M
3	Review of the first phase training	▪ Participants will share their changes, challenges and experiences	Open discussion & sharing	120 M
4	What is patriarchy	▪ Build understanding about patriarchy	Lecture	60 M
5	Institution and structure for control men and women in patriarchy. (Analysis within the relationship- Sister, mother, wife on resources, healthcare, nutrition, education, spaces for decision, opportunity to represent family, mobility, sport) Family, Education, Religion	▪ Identify the institutions that control men and women in patriarchy. ▪ To build understanding that how patriarchy controls decision, opportunity, mobility, education, resources, sport etc. within different institutions.	Group discussion	90
6	Notions of rights sacrifices, and rewards for men and women in Patriarchy	▪ To build understanding that how men and women rewarded when they sacrifices their rights in patriarchy and how this works.	Free listing	60 M
7	Patriarchal norms how perpetuated and strengthened family, community, governance & religion	▪ Factor & institution who maintain the patriarchal values and norms. ▪ How institutions build the patriarchal values and norms.	Group discussion	60 M
8	When do men feel humiliated and its links with patriarchy?	▪ To build understanding that when men feel humilities and its links with	Game, Yoga exercise	60

		patriarchy.		
DAY- TWO Gender Based Violence				
1	Recap of first day	▪ Finding out if there is any topic that needs clarifications		60 M
2	Defining Violence and different forms of violence	▪ To build the knowledge and increase understanding on violence, women violence, GBV and its different forms	Lecture, group discussion & presentation	60 M
3	Reaction on insecurity, fear to control women	▪ Participant will understand about the different reactions	Reflection and sharing	60 M
4	Impact of Violence – Self and partner, Man and Woman	▪ Increase understanding on impact of violence	Sharing	90 M
5	Laws against GBV/domestic violence	▪ Participant will understand the legal aspect and process to reduce the domestic violence	Discussion & film screening	60 M
6	Issues of survivor women and children - Role of men in case of violence/domestic violence	▪ Animators and facilitator will understand their role at village level in the case of girls and women violence	Collective discussion	60 M
7	Film Show – Astitav	▪ Participants will correlate the discussion with their different sessions		120 M
DAY- THREE Group Facilitation				
1	Recap of second day	▪ Finding out if there is any topic that needs clarifications	Individual sharing	60 M
2	About the group and different types of group, Importance of group	▪ Make understanding about the different types of groups and common points	Collective discussion	60 M
3	Practicing on group facilitation and collective feedback on observation	▪ Build the understand and skill on group dynamics & process in group facilitation	practice in small groups	120 M
5	Plan of action	▪ Participants will make their change plan at personal/family and community level	Individual	60 M

Outputs –

- Animator become sensitive, reflective and responsible to address the patriarchal discrimination in family
- Animator become sensitive towards their own relationship
- Animator become able to identify the gender based discrimination and gender based violence
- Animator become sensitive and responsible to address GBV
- Animator will be able to identify the form of violence
- Animators will able to facilitate the group meetings

प्रतिभागियों के लिए पाठ्य सामग्री :

परिशिष्ट नं0–1

प्रश्न : पितृसत्ता से हमारा क्या मतलब है?

उत्तर : पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता या 'कुलपति' (परिवार का बुजुर्ग पुरुष) की सत्ता या शासन। आरंभ में इस शब्द का इस्तेमाल एक खास तरह के 'पुरुष प्रधान परिवार' के लिए किया जाता था। यह एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, जिसका सर्वेसर्वा एक बजुर्ग पुरुष होता था। इस परिवार में इस कुलपति के नीचे आरैतें, छोटे मर्द, बच्चे, दास, घरेलू नौकर सभी होते थे। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष सत्ता दर्शाने या उन शक्ति संबंधों को बताने के लिए, जिनमें मर्द औरतों को दबाते हैं या उस व्यवस्था के लिए किया जाता है जो अनेक तरीक़ों से औरतों को निचले दर्जे पर रखती है। दक्षिण एशिया में हिन्दी भाषा में इसे पितृसत्ता कहते हैं। हम किसी भी वर्ग की औरतें क्यों न हों हमारी राज़ेमर्रा की ज़िदंगी में हम अनेक तरीक़ों से अपने गिरे हुए दर्जे को महसूस करती हैं। परिवार, काम की जगह और समाज में हमारे साथ होने वाला भदेभाव, बेकद्री, अपमान, नियंत्रण, शोषण, ज़ुल्म और हिंसा उसके अनेक रूप हैं। इनका छोटा मोटा ब्योरा हर उदाहरण में भिन्न हो सकता है। लेकिन मुख्य कहानी वही होती है।

प्रश्न : पितृसत्ता किस तरह से हमारे सामने आती है? क्या हम उसे अपने जीवन में पहचान सकते हैं?

उत्तर : जिसने जीवन में ज़रा भी ऊँच–नीच, पूर्वाग्रह या अस्वीकृति सिर्फ़ इसलिए पाई है कि वह लड़की या औरत है तो वह इसे पहचान सकती है चाहे यह कितनी ही दबी–ढ़की क्यों न हो या वो इस अनुभव को कोई नाम न दे पाए। कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के दारैान जब भी औरतों ने, औरत होने के अनुभव बतलाए हैं, वह वास्तव में पितृसत्तात्मक नियंत्रणों के ही विभिन्न रूपों की चर्चा ही होती है। इस बात से मेरी क्या मंशा है यह कुछ मिसालों के ज़रिए समझा जा सकता है। हर उदाहरण एक ख़ास किस्म के भेदभाव आरै पितृसत्ता का एक रूप है।

- 'मैंने सुना है मेरे जन्म पर परिवार वाले बहतु दुःखी हुए थे। वे लड़का चाहते थे। **(बेटे को महत्व)**
- 'मेरे भाईयों को खाना माँगने का हक़ था। वे जो चाहते थे हाथ बढ़ा कर उठा लेते थे। हमें कहा जाता था कि जब तक दिया न जाए, इन्तज़ार करो। हम बहनें और माँ बचे–खुचे से काम चला लेती थी। **(भोजन के बँटवारे में लड़कियों के साथ भदेभाव)**
- 'मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी पड़ती है, भाई नहीं करते। **(औरतों और बच्चियों पर घरेलू काम का बोझ)**
- 'स्कूल जा पाना भी एक बड़ी लड़ाई थी। मरे पिता का ख्याल था कि हम लड़कियों के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। **(लड़कियों के लिए पढ़ाई के अवसरों का अभाव)**
- 'मैं सहेलियों से मिलने या खेलने बाहर नहीं जा सकती थी।' 'मेरे भाई कितने भी बजे घर आ सकते हैं लेकिन मुझे अंधेरा पड़ने से पहले लौटना पड़ता है। **(लड़कियो ंके लिए आज़ादी और आने–जाने की छूट का अभाव)**
- 'मेरे पिता मरेी माँ को कई बार मारते थे। **(पत्नी प्रताड़ना)**
- 'मेरे भाई तो पिता से भी गए गुज़रे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी लड़के से बात करूँ। **(औरतों व लड़कियों पर पुरुष नियंत्रण)**

- 'मैं अपने अफ़सर की माँग पूरी करने के लिए तैयार नहीं थी सो नौकरी से निकाल दी गई। **(काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न)**
- 'मेरे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं है। मेरे पति की संपत्ति भी मेरी नहीं है। असल में ऐसा कोई घर नहीं हैं जिसे मैं अपना कह सकूँ। **(औरतों के लिए उत्तराधिकार या संपत्ति अधिकार का अभाव)**
- 'जब भी मेरा पति चाहता है, मुझे अपना जिस्म उसे देना पड़ता है। मेरी कोई राय नहीं है। मुझे इस संबंध से डर लगता है, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। **(औरतों के शरीर और उसकी यौनिकता पर पुरुष नियंत्रण)**
- 'मैं तो चाहती हूँ मरेा पति गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे लेकिन उसने मना कर दिया। उसने मुझे भी ऑप्रेरेशन कराने की की इजाज़त नहीं दी। **(जनन क्षमता पर नियंत्रण या प्रजनन अधिकारो ंका अभाव)**

जैसे ही हम टुकड़ों में बटँे हुए इन अलग–अलग अनुभवों पर सोच विचार करते हैं तो एक साझी तस्वीर बनती नज़र आती है। हमें यह पता चलता है कि हममें से हर एक को किसी ने किसी रूप में इस भदेभाव का सामना करना पड़ा है। लड़कों आरै मर्दों के मकु़ाबले में लगातार छोटा आरै गिरा हुआ बताए जाने का अनुभव और अहसास, आत्म–सम्मान, आत्म–महत्व और आत्म–विश्वास को ख़त्म कर देता है तथा हमारी इच्छाओं, अकाँक्षाओं और सपनों के पर काट देता है। अपनी अहमियत जतलाने के लिए उठाए गए हर मज़बूत कदम को नारीत्व के ख़िलाफ मान कर थू–थू की जाती है। ज्यों ही हम पूर्व निश्चित हदों और भूमिकाओं से बाहर निकल कर कुछ नया करना चाहती हैं हमें 'बेशर्म और बेपर्दा' कहा जाता है। ऐसे रिवाज और क़ायदे जो हमें मर्द से नीचा मानते हैं सभी जगह मौजूद है जैसे हमारे परिवारों, सामाजिक संबंधों, धर्म, कानून, पाठशालाओं, स्कूली किताबों, जन–संचार माध्यमों, कारखानों और आरै दफ्रों में। जब हम एक दूसरे के अनुभवों को सुनती हैं तो यह समझ में आता है कि यह भेदभाव हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि हमारी किस्मत खराब थी या ऐसे 'दुष्ट' मर्दों से पाला पड़ा जो औरत का शोषण और दमन करते हैं। जो व्यवहार किसी न किसी रूप में हर औरत के साथ हो रहा हो वह न तो बदकिस्मती नतीजा हो सकता है आरै न ही इक्का–दुक्का दुष्ट मर्दों की कार्रवाई। हमें यह बात भी समझ में आने लगती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। वह एक 'व्यवस्था' के तहत है। यह व्यवस्था है पुरुष प्रधानता, पुरुष उच्चता और पुरुष नियंत्रण की, इसमें औरत का दर्जा गिरा हुआ, कमज़ोर आरै अधिकार हीनता का है।

प्रश्न : जिस तरह का पुरुष प्रभुत्व हमारे चारों ओर हर समय दिखलाई पड़ता है, क्या पितृसत्ता शब्द उस सबको अपने में ंसमेट सकता है?

उत्तर : हाँ, काफ़ी हद तक यह सही है। वास्तव में पितृसत्ता सिर्फ़ एक शब्द नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। नारीवादी इसे एक धारणा के रूप में इस्तेमाल करती है तथा सभी धारणाओं की तरह यह भी हमारे आस–पास की सच्चाईयों को समझने का एक मददगार माध्यम है। इसे अलग–अलग लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित भी किया है। जूलियट मिशले जो एक नारीवादी मनोवैज्ञानिक हैं पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल पारिवारिक संबंधों की उस व्यवस्था के लिए करती हैं जिसके अंतर्गत मर्द स्त्रियों की अदला–बदली का हक रखते हैं, और उस ताकत के लिए करती हैं जिसका इस्तेमाल इस व्यवस्था के तहत पिता करते हैं। वे कहती हंै यही वह ताकत है जो आरैतों में 'हीन भावना' पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। सिल्विया वैल्बी अपनी किताब 'थियारेाइज़िगं पट्रीयार्की' में कहती है 'यह सामाजिक ढ़ाँचों आरै रिवाजों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पुरुष स्त्रियों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, उनका दमन और शोषण करते हैं।' जैसा कि मैन पहले कहा है और सिल्विया वैल्बी भी याद दिलाती है कि पितृसत्ता का ेएक व्यवस्था के रूप में समझना

ज़रूरी है क्योंकि तभी हम औरत मर्द के जैवकीय फ़र्क़ को हर असमानता के लिए ज़िम्मेदार मानना छोड़ेंगे (वह फ़र्क़ कहता है कि चूँकि मर्द–अैरत का शरीर अलग–अलग ढ़ँग से बना है। इसीलिए उनकी भूमिकाएँ अलग हैं।) और यह मानना भी छोड़ेंगे कि 'हर पुरुष' सदैव ऊँची स्थिति में हाता है व 'हर औरत' नीची स्थिति में।

इस व्यवस्था से यह 'विचारधारा' जुड़ी है कि पुरुष स्त्रियों से बेहतर हैं। औरतों को पुरुषों की संपत्ति की तरह उनके नियंत्रण में रहना चाहिए। कुछ दक्षिण एशियाई भाषाओं में पति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं स्वामी, शौहर, पति, मालिक। ये सब शब्द ऊँच–नीच का संबंध दर्शाते हैं, औरत पर पति का अधिकार जतलाते हैं। इन शब्दों से ही पता लग जाता है कि पति–पत्नी का रिश्ता ग़ैरबराबरी का ही बनाया गया है उसकी परिभाषा में ही असमानता निहित है।

प्रश्न : क्या पितृसत्ता का स्वरूप हर जगह एक जैसा है ?

उत्तर : नहीं, यह हर जगह एक जैसा नहीं होता है। इतिहास के अलग–अलग कालों में, विभिन्न समाजों या उसी समाज के विभिन्न वर्गों में इसका रूप भिन्न हो सकता है व अक्सर होता है। हालाँकि मोटी–मार्टी विशेषताएँ वही रहती हैं। पुरुषों का नियंत्रण तो रहता है परंतु नियंत्रण का ढ़गं अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारी दादी–नानी के आरै हमारे पितृसत्ता के अनुभव एक जैसे नहीं हैं। आदिवासी आरैतों व उच्च जाति की हिन्दू औरतों व उच्च जाति की हिन्दू आरैतों के अनुभव फर्क़ होते हैं। अमरीका में रहने वाली औरतों व भारत में हरने वाली औरतों के अनुभवों में अन्तर हो सकता है। हर सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक युग पितृसत्ता का एक नया रूप सामने लाता है जिसके तहत सामाजिक साँस्‍ तिक रिवाज़ों में फर्क़ हो सकता है लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि उसके बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं और आरैत का दमन, शोषण आरै नियंत्रण। इस पर हम बाद मे ंअधिक विस्तार से चर्चा करेंगे परन्तु इन अन्तरों को पहचानना ज़रूरी है ताकि हम अपने हालात का बेहतर ढ़कं से विश्लेषण कर सकें आरै उनसे निपटने की उचित रणनीति तैयार कर सकें।

प्रश्न : पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत किन–किन चीज़ों पर मर्दों का नियंत्रण होता है?

उत्तर : आमतौर पर औरतों की ज़िन्दगी के निम्नांकित क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक नियंत्रण सबसे ज़्यादा दिखलाई पड़ता है –

1.**औरतों की उत्पादन या श्रम शक्ति** (Productive or Labour Power) मर्द, घर के भीतर औरत द्वारा की जाने वाली मेहनत और घर के बाहर कमाई के लिए की जाने वाली मज़दूरी दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। घर के भीतर औरतें परिवार के बच्चों, पतियों तथा अन्य सदस्यों के लिए जीवन भर मेहनत करती रहती हैं। सिल्विया वैल्बी इसे 'उत्पादन की पितृसत्तात्मक प्रणाली' का नाम देती हैं। इस के तहत पति तथा परिवार के अन्य सदस्य औरत की मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं। वह कहती हैं कि घरेलू औरतें उत्पादन करने वाला वर्ग है और पति फ़ायदा उठाने वाला वर्ग। औरत का चौबीसों घंटे चलने वाला, उबाऊ काम और कमरताड़े मेहनत का काम समझा ही नहीं जाता और उसे फिर भी पति पर निभर्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

औरत घर से बाहर जाकर जो नौकरी या मज़दूरी करती है उस पर भी मर्द कई ढ़ंग से अपना नियंत्रण रखते हैं। पति अपनी पत्नी को बाहर जाकर कमाने या काम न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे चाहें तो थाड़े–थोड़े समय के लिए का करने दें और उसकी कमाई भी हथिया लें। औरतों को अच्छे वेतन वाली ऊँची नौकरियों से दूर रखा जाता है। आमतौर पर उन्हें अपनी मेहनत का कम मुआवज़ा मिलता है या ऐसे धंधे अपनाने पड़ते हैं 'जो घर पर बैठ कर' किए जा सकते हैं। काम का यह ढ़ंग औरत के फ़ायदे का

बताया जाता है पर वास्तव में औरत की मेहनत का सबसे ज़्यादा शोषण करने वाला ढ़ंग है। औरत की मेहनत का शाषेण और उस पर पुरुषों के नियंत्रण का अर्थ है कि पितृसत्ता से पुरुषों का भौतिक फ़ायदा होता है। औरतों के गिरे हुए दर्जे से पुरुष वर्ग ठोस आर्थिक लाभ उठाता है। यानि हम यह कम सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था भौतिक फ़ायदे की नीवं पर स्थित है।

2.**औरतों की प्रजनन शक्ति** (Reproductive Power) – आरैतों की प्रजनन शक्ति पर भी पुरुष अपना नियंत्रण रखते हैं। अनेक समाजों में बच्चों की संख्या, उनके जन्म का समय, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल जैसे औरत से ताल्लुक रखने वाले बुनियादी मुद्दों का फ़ैसला भी खुद उनके हाथ में नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से तो मर्द अपने परिवार की औरतों पर काबू रखते ही हैं, धामिर्क संस्थाएँ और सरकार (धर्म आरै राजनीति) भी औरतों की प्रजनन शक्ति से जुड़े कायदे–कानून बनाती हैं। मिसाल के लिए स्त्रियों व पुरुषों को गर्भ निराधेकों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कानै से गर्भ निरोधक तरीकों की इजाज़त दी जा सकती है, औरतें अनचाहे गर्भ को रखें या गिराएँ जैसे विषयों का फैसला कैथेलिक चर्च के पुरुष अधिकारियों के हाथ में है। यह नियंत्रण का संस्थागत रूप है। औरतें कब और कितने बच्चे पदैा करें या बिल्कुल न करें इसका फसैला खुद कर पाने की आज़ादी के लिए लगभग सारी दुनिया की आरैतें लगातार संघर्ष कर रही हैं। इसी बात से साबित हो जाता है कि सरकार और धर्म तथा पुरुषों का यह नियंत्रण कितना कठोर है और ये सभी लोग इस नियंत्रण को छोड़ने को ज़रा भी तैयारा नहीं हैं। एसो क्यों है इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेगें।

आज के आधुनिक समय में पितृसत्तात्मक सरकारें परिवार नियोजन कार्यक्रम के ज़रिए आरैतों के प्रजनन पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं। देश की अधिकतम जनसंख्या कितनी हो इसका फैसला सरकार करती है और उसी हिसाब से आरैतों को या तो बच्चें ज्यादा पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता है या बच्चे पैदा करने से रोका जाता है। भारत में परिवार छोटा करने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से गर्भ निरोधक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मलेशिया में देश की औद्योगिक पैदावार की खपत बढ़ाने के लिए औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा है। यूरोप में जन्म–दर बहुत नीची होने के कारण वहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए औरतों को तरह–तरह के लालच दिए जा रहे हैं। पूरे खर्चे आरै वेतन के साथ वहाँ औरतों को लम्बी प्रसूति छुट्टी दी जाती है, आधे दिन की नाकैरियों के अवसर पैदा किए हैं, बच्चों की देखरेख की सुविधाएँ दी जा रही हैं। कई देशों में तो पुरुषों को भी बच्चे के जन्म के समय 'पुरुष पस्रूति छुट्टी' देते हैं। देशों की इस संबंध में सोच और नीतियाँ भी अर्थ–व्यवस्था द्वारा श्रमिकों की माँग के हिसाब से बदलती रहती है। मिसाल के लिए दूसरे महायुद्ध के बाद जब हारे हुए जर्मनी में देश निर्माण के लिए श्रम शक्ति की जरूरत थी तो आरैतों से कहा गया कि वे घर से बाहर निकल कर नाकैरियाँ करें। इसके बिल्कुल विपरीत विजेता इंग्लैण्ड में, जहाँ लड़ाई के दारैान औरतें घर–बाहर दोनों संभाल रही थीं उनसे कहा गया कि वे अच्छी घरेलू आरैतें बन कर रहें ताकि युद्ध से लौटे हुए मर्द नौकरियाँ पा सकें। सन् 1950 के दशक में अमरीका में आई प्रसिद्ध 'बालक भरमार' सरकारी नियंत्रण और सरकार द्वारा मातृत्व के सोच को बढ़ावा देने की नीतियों का अच्छा उदाहरण है।

अतिवादी नारीवाद (Radical Feminism) औरत की स्थिति का विश्लेषण करते समय मातृत्व के इस सोच को केद्रं बनाकर छानबीन करता है। उनके अनुसार औरतों के गिरे हुए दर्जे का मुख्य कारण यही है कि पितृसत्तात्मक समाज में औरत के मातृत्व स्वरूप को बढ़ावा देकर, पालने–पासेने आरै सेवा करने का सारा बोझ सिर्फ आरैत पर डाल दिया जाता है। औरतों को गभ र्निरोधकों के बारे में सही जानकारी मुहैया न करवा कर या बाज़ार में सिर्फ ऐसे गर्भ निरोध ाकों की भरमार करके जो मंहगे खतरनाक, अविश्वसनीय और इस्तेमाल में कठिन हों, एसे हालात पैदा कर दिए जात हैं कि औरतों के पास सिवाए बच्चे पैदा करने के

कोई चारा नहीं रह जाता। इस तरह से मातृत्व उन पर थोप दिया जाता है। पितृसत्ता गर्भपात की सीमाएँ तय करती हैं या उस पर पूरी रोक भी लगाती है लेकिन साथ ही पुरुषों से शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उन पर लगातार कड़ा दबाव बना रहता है। यानि चित भी उनकी और पट भी उनकी।' पितृसत्ता औरतों को सिर्फ माँ बनने के लिए ही मजबूर नहीं करती बल्कि मातृत्व के हालात व उसका स्वरूप भी तय करती है। मातृत्व के इस पूरे सोच को औरत के दमन का आधार माना गया है। इसी सोच के कारण नारीत्व और पुरुषत्व के दो रूप बनते हैं, उनकी अलग–अलग खूबियाँ तय होती हैं, जो पितृसत्ता को चलाने में मददगार हैं। यही सोच पारिवारिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को अलग करके उनके बीच दीवार खड़ी करती है। औरत के आने जाने की आज़ादी व विकास पर रोक लगाती है तथा पुरुष प्रभुत्व को मजबूत करती है।

3.**औरत की यौनिकता** (Sexuality)– औरत की यौनिकता पर भी पुरुष नियंत्रण है। औरतों की गिरी हुई स्थिति का यह एक और महत्वूपर्ण क्षेत्र है। पुरुषों की इच्छाओं और जरूरतों के अनुसार औरतों को यौन सुख देना ही चाहिए, ऐसा माना जाता है। लगभग सभी समाजों में शादी के संबंध के बाहर औरत की यौनिकता के लिए काई जगह नहीं है। उसे राकेने के लिए नैतिक और कानूनी हदें बनाई गई हैं जबकि मर्दों के कारनामों की तरफ हर कोई आँखें बंद कर लेता है। इस तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि अपने परिवार की औरतों, यानि पत्नी बेटी आदि की यौनिकता बेचने का हक उन्हें है। वे चाहें तो खुद इस्तेमाल करें या दूसरों को इसकी इजाजत दे सकते हैं। बलात्कार अथवा उसकी धमकी के जरिए भी औरत की यौनिकता पर काबू रखा जाता है। इसे आरै अधिक कारगर बनाने के लिए बलात्कार के साथ 'शर्मिन्दगी' आरै 'बेइज़्ज़ती' का एक बहुत बड़ा मायाजाल तैयार कर दिया गया है। औरतों की यौनिकता को अपने कब्ज़े में रखने के लिए परिवार के साथ, सामाजिक, साँस्कृतिक और धामिर्क नियम मिल कर उनकी पोशाक, चालढ़ाल और आने जाने पर कड़ी नज़र रखते हैं। कहीं भी थाड़ेी गफलत होने पर तुरन्त सब तरफ से बंधन आरै कड़े कर दिए जाते हैं।

एक अतिवादी नारीवादी (Radical Feminist) विश्लेषण के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत आरैतें न सिर्फ 'माताएँ' होती हैं बल्कि वे यौन सेवा करने वाली दासियाँ भी होती हैं। पितृसत्तात्मक सोच आरैत के इन दानों रूपों यानि माता और यौन वस्तु को दो विरोधी खेमों में रख कर देखता है। इस तरह से पुरुषवादी सँस्ंति एक माता के अस्तित्व को छोड़ कर औरत को मुख्य रूप से पुरुष के मौज–मज़े का सामान मानती हैं। शायद हर समाज में बलात्कार मौजूद न हो लेकिन यह पितृसत्ता की एक खास चारित्रिक विशेषता है। नारीवादी विश्लेषण का मानना है कि बलात्कार एक राजनैतिक हथकंडा है, ताकत़मदं वर्ग द्वारा ताकतहीन वर्ग को दबाने, उसका दमन करने का साधन है। अतिवादी नारीवादियों के अनुसार संस्थागत वेश्यावृत्ति, अश्लील सामग्री तथा समाज में सिर्फ स्त्री–पुरुष के बीच यौन रिश्तों को स्वीकृति देना, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा पितृसत्ता औरत की यौनिकता पर काबू बनाए रखती हैं।

4.**औरतों की गतिशीलता** (Mobility) – औरत की यौनिकता उसके उत्पादन और प्रजनन पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है कि मर्द, औरतों के आने जाने पर नियंत्रण रखें। इसके लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। औरतों के लिए पर्दा, घरेलू क्षेत्र तक उनके दायरे की सीमा, उस सीमा को छोड़ने पर रोक, पारिवारिक और सार्वजनिक दायरों के बीच बड़ा साफ फर्क, स्त्रियो ंऔर पुरुषों के बीच कम से कम संपर्क आदि सभी बातें अपने ढ़ंग से औरत की आज़ादी और गतिशीलता पर नियंत्रण करती हैं। इनकी ख़ासियत यही है कि ये एक जेंडर पर लागू होती हैं दूसरे पर नहीं। ये सभी राके–टोक नियम क़ायदे औरतों के लिए हैं मर्दों के लिए नहीं।

4.**संपत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधन** (Property and Other Economic Resources) – ज़्यादातर संपत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनों पर मर्दों का नियंत्रण है आरै आमतौर पर ये एक मर्द से दूसरे मर्द यानि पिता से पुत्र के हाथों में जाते हैं। जहाँ कहीं आरैतों को उत्तराधिकार का कानूनी हक़ मिला हुआ भी है वहाँ भी सामाजिक रिवाज, भावनात्मक दबाव, रिश्तों की राजनीति से लेकर साफ–साफ ज़ोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हक़ वास्तव में पाने से रोका जाता है। कुछ अन्य उदाहरणों में व्यक्तिगत कानून लागू होने से उनके हक़ों में बढ़त होने के बजाए और कटाती हो जाती है। नतीजा यह है कि लगभग सभी मामलों में औरतें नुकसान में रहती हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आँकड़ों से बहुत स्पष्ट हो जाती है। 'औरते सारी दुनिया में किए गए काम के घंटो में 60 प्रतिशत से अधिक का यागेदान देती हैं जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का सिर्फ 10 प्रतिशत मिलता है और वे केवल 1 प्रतिशत संपत्ति की मालिक हैं।'

(साभार : भला पितृसत्ता क्या है, जागोरी, शिवालिक, मालवीयनगर, नई दिल्ली 110017)

परिशिष्ट नं0–2

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाये रखने वाले कारक

समाज की सभी मुख्य संस्थाओं का विश्लेषण करें तो मालूम होता है कि वे अपने स्वभाव, चरित्र और ढर्रे में पूरी तरह से पितृसत्तात्मक है। परिवार, धर्म, जन–माध्यम आरै कानून पितृसत्तात्मक व्यवस्था ओर ढांचे के मुख्य स्तम्भ या सहारे हैं। इस व्यवस्था की कड़ियाँ आपस में बड़ी मजबूती से जुड़ी हैं और नींव इतनी गहरी है कि इसे हिलाना भी असंभव लगता है। कुछ हद तक तो यह व्यवस्था प्राकृतिक लगने लगती है जो हमेशा से चली आई है और हमेशा चलती रहेगी। चलिए हम प्रत्येक पितृसत्तात्मक संस्था को अलग–अलग देखें :

(1) परिवार

परिवार जो समाज की बुनियादी इकाई है, शायद सबसे अधिक पितृसत्तासत्मक संस्था है। पुरुष इस संस्था का मुखिया है। परिवार के भीतर वह औरत की यौनिकता, मेहनत, उत्पादन, प्रजनन और गतिशीलता पर नियंत्रण रखता है। यहां यह भी समझ लें कि काफी हद तक मुखिया परिवार के छोटे लड़कों/मर्दों पर भी नियंत्रण रखता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा अनेक नियंत्रण सिर्फ आरैतों पर लागू होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पदानुक्रम में महिलाएं हमेशा मर्दों के नीचे रहती है। इससे पुरुष बेहतर हैं, दबावकारी हैं, ओरतें गिरी हुई और दबी हुई हैं।

आने वाली पीढ़ियों को पितृसत्तात्मक मूल्य देने और सिखाने का काम भी परिवार ही करता है। परिवार के भीतर ही हम सबसे पहले ऊँच–नीच, पदानुक्रम और लिंग आधारित भेदभाव का पाठ पढ़ाते हैं। लड़कों को दबावकारी बनने और रौब जमाने की सीख मिलती है; जबकि लड़कियो को दबने और भेदभाव स्वीकारने की। हालांकि विभिन्न समाजों और परिवारों में पुरुष नियंत्रण का रूप और सीमा अलग–अलग हो सकती है लेकिन यह पूरी तरह से गैर मौजदू कभी नहीं होता। गर्डा लर्नर के अनुसार समाज में व्यवस्था बनाए रखने और पदानुक्रम जारी रखने में परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। वे लिखती है– परिवार अपने आईने में न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और बच्चों को उसे मानने का पाठ पढ़ाता है। बल्कि परिवार लगातार उस व्यवस्था को गढ़ता और मजबूत करता चलता है।

(2) धर्म

अधिकांश आधुनिक धर्म पितृसत्तात्मक हैं जो पुरुष प्रभुत्व को सर्वोपरि मानते हैं, वे पितृसत्ता को इस ढंग से पेश करते है कि जैसे वह ईश्वर की इच्छा है। धर्म के वर्तमान संस्थागत रूप से पहले स्त्री शक्ति के जिस

रूप की पूजा होती थी, धीरे–धीरे वह कमजोर पड़ता गया, देवियों की जगह देवताओं ने ले ली। अधिकांश धर्मों को उच्च वर्ग और उच्च जाति के मर्दों ने बनाया, परिभाषित किया और उस पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने ही नैतिकता, नीतिशास्त्र, व्यवहार और यहां तक कि कानून की परिभाषा किया है। वे सरकारी नीतियों पर भी असर डालते हैं आरै अधिकांश समाजों में एक बड़ी ताकत के रूप में आज भी कारगर हैं। दक्षिण एशिया के देशों में उनकी मौजदूगी और ताकत बहतु ज्यादा है। मिसाल के लिए एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में किसी भी व्यक्ति की कानूनी पहचान उसके धर्म पर निभर्र करती है। किस पक्रार से लगभग सभी धर्म औरत को गिरा हुआ, अपवित्र औरा पापमय मानते हैं, कैसे उन्होंने व्यवहार और नैतिकता के दोहरे मापदंड बनाए है, किस तरह से धार्मिक कानून बिगड़ी हुई औरतों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल को जायज ठहराते हैं आरै किस पक्रार से धामिर्क पंथों और कट्टरवादी सिद्धांतों के सहारे गैर बराबरी के संबंधो ंको स्वीकृति आरै कानूनी दर्जा मिलता है। यह सब बातें साबित करने वाले पर्याप्त विश्लेषण और अध्ययन मौजूद हैं। महिलाएं अधिक काम का बोझ संभालती है, लेकिन उनके हाथ में पैसे नहीं रहते, क्योंकि बाजार में पुरुष ही फसल बेचता है। महिला की कार्यशक्ति पर पुरुष का नियंत्रण है, घर की आय भी पुरुष के ही हाथ में आती है और सारी जमीन–जायदाद पुरुष के नाम पर ही होती है। महिला को हर समय काम करते हुए दिखना है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई करना महिला को शोभा नहीं देता। महिला अखबार पढ़ती हुई या खाली बैठकर रेडियो सुनती हुई नहीं दिखनी चाहिए। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए महिला इधर–उधर स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके समय पर पुरुष का नियंत्रण है। इस तरह स्पष्ट होता है कि महिला एवं पुरुषों के बीच सत्ता का बंटवारा बराबर नहीं है। इससे उनके बीच सामाजिक अंतर बना रहता है।

(3) कानूनी व्यवस्था

अधिकांश देशों में कानूनी व्यवस्था पितृसत्तामक तथा बुर्जुआ दोनों है, यानि यह पुरुषों तथा आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग की पक्षधर है। परिवार, विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून पितृसत्तात्मक संपत्ति नियंत्रण के साथ करीब से जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया की सभी कानूनी व्यवस्थाएं पुरुष को परिवार का मुखिया, बच्चों का स्वाभाविक संरक्षक और संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी मानती हैं। विधि–शास्त्र, कानूनी न्याय व्यवस्थाएं, न्यायाधीश तथा वकील सभी अधिकतर अपने दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था में पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं।

(4) आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाएं

पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था के अंतगर्त पुरुष आर्थिक संस्थाओं, अधिकांश संपत्ति व आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। वे ही यह तय भी करते हैं कि उत्पादन की विभिन्न कारवाईयों को कितनी अहमियत दी जाए। औरतों द्वारा किए जाने वाले अधिकांश उत्पादन कार्य का न तो भुगतान होता है और न ही कोई अहमियत मिलती है। औरतों की बचत और महेनत से जो अतिरिक्त उत्पादन होता है जिसे मारिया मीस ने 'छाया कार्य' का नाम दिया है, बिल्कुल नकार दिया जाता है। उसके घरेलू काम का तो मूल्याकंन ही नहीं होता। खास बात तो यह है कि औरतों की उत्पादक व बच्चों को पालने आदि की विभिन्न भूमिकाओं को आर्थिक योगदान के रूप में देखा ही नहीं जाता।

(5) राजनैतिक व्यवस्था तथा संस्थाएं

ग्राम पंचायत को लेकर संसद तक सभी स्तरों पर समाज की सभी राजनैतिक संस्थाओं में पुरुषों का बोलबाला है। हमारे देश का भाग्य तय करने वाले राजनैतिक दलों व संगठनों में मुट्ठी भर औरतें है। जब कभी, कहीं औरतों ने अहम राजनैतिक गद्दी पाई है (श्रीमाओ, बदरनायके, इंदिरागांधी, बनेजीर भुट्टो, खालिदा जिया) तो कम से कम आरंभ में वहज किसी ताकतवर राजनैतिक पुरुष नेता से उनका संबंध रहा है, चाहे

वह पिता–पति के रूप में हो। वे गद्दी संभाल कर पुरुषों द्वारा निर्धारित नियमों आरै ढांचों के बीच रहकर ही काम करती हैं। हालांकि इस क्षेत्र में इतनी अधिक आरैतों ने सरकार की अगुवाई की है परंतु जहां तक संसद में औरतों की मौजदूगी का सवाल हे दो–तीन देशों को छोड़कर दुनिया में कहीं भी उनकी संख्या दस प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी।

(6) जन संचार माध्यम

वर्ग और जेंडर से जुड़ी विचारधारा फैलाने के लिए उच्च वर्ग आरै उच्च जाति के मर्दों के हाथ में जनसंचार माध्यम एक बहतु मजबूत औजार है। फिल्मों से लेकर टेलीविजन तथा पत्रिकाओं, अखबारों, रेडियो और सभी जगह औरतों की वही घिसी पिटी विकृत छवि को दर्शाया जाता है। लगातार शब्दों, छवियों के जरिए पुरुष उच्चता और स्त्री के नीचे दर्जे को जताने वाले संदेश मिलते रहते हैं, खासतौर पर फिल्मों में औरतों के प्रति हिंसा का बोलबाला है। दूसरे क्षेत्रों की तरह जनसंचार माध्यमों में भी पेशेवरों के रूप में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। रिपोर्ट लिखने–छपने, विज्ञापन व संदेश देने का ढंग पूरी तरह औरतों के खिलाफ है जो उन्हें एक कमजोर, गिरी हइु यानि वस्तु के रूप में देखता है।

(7) शिक्षण संस्थाएं और ज्ञान व्यवस्थाएं

जब से ज्ञान व शिक्षा प्राप्ति को औपचारिक व संस्थागत रूप मिला तब से शिक्षा पर पुरुषों ने अपना कब्जा जमा लिया है। दर्शन, धर्मशास्त्र, विधि, साहित्य, कला तथा विज्ञान सभी अंग उनके नियंत्रण में है ज्ञान के प्रसार पर पुरुषों के इस आधिपत्य के कारण औरतों की समझ उनके अनुभव, उनकी योग्यताएं और आंकाक्षाए शिक्षा व्यवस्था के हाशिये पर धकेल दी गई है। अनेक संस्कृतियों में बड़े नियोजित ढंग से आरैतों को प्राचीन धामिर्क साहित्य के अध्ययन से राको गया है। आज भी केवल कुछ ही औरतें ऐसी है जो धार्मिक साहित्य व संहिताओं की व्याख्या कर पा रही हैं। गर्डा लर्नर कहती हैं ''हमने देखा है कि किस पक्रार से पुरुषो ने स्त्री शक्ति के मुख्य पत्रीकों, मातृत्व व प्रजनन देवियों पर अपना हक जमाया आरै फिर उनका रूप बदल डाला। हमने यह भी देखा है कि मर्दों ने किस प्रकार से नर के प्रजनन अंगों व प्रजनन शक्ति से जुड़े झूठे रूप गढ़कर तथा नारी के अस्तित्व को बहुत सकरे यौनिक रूप में पुरुष निर्भर परिभाषित करके उसके आधार पर धर्मशास्त्रों का निर्माण कर लिया। हमने यह भी देखा कि अंत में इन्ही रूपकों के आधार पर समाज में भी पुरुषों की छवि संपूर्ण शक्तिशाली मान ली गई जबकि नारी एक अधूरी, अशक्त प्राणी के रूप में दर्शाई गई जिसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। ऐसे काल्पनिक रूपकों को आधार बनाकर मर्दों ने दुनिया की हर चीज को अपने ढंग और नज़रिए से समझाया, हर महत्वपूर्ण सवाल की व्याख्या भी इस तरह से की गई कि वे खुद पूरी सृष्टि का केन्द्र बन बैठे कुछ नारिवादियों का कहना है कि पितृसत्तात्मक रूचि की मख्ुय विशेषताएं है विभाजन, भदेभाव, विरोध और द्वैत। उनका मानना है कि पितृसत्ता प्रकृति की संस्कृति, बुद्धि व शरीर, स्वयं व अन्य, तर्क व भावना, जिज्ञासु व जिज्ञासा की वस्तु के बीच विरोध पैदा करती है तथा इन दानों विरोधी पक्षों में एक को अधिक ऊँचा व कीमती समझा जाता है। पितृसत्तात्मक शिक्षा व्यवस्था भी विशेषज्ञता को बढ़ावा देती है अर्थात् ज्ञान को टुकड़ों में बाटंकर डिब्बाबंद कर देती है। इस प्रकार किस भी तथ्य को उसकी सम्पूर्णता में देखने समझने में असफल रहती है। पुरुष प्रभुत्व वाली शिक्षा व ज्ञान पितृसत्तात्मक विचारधारा को पेदा करते व पालते हैं सिल्विया वैल्बी के अनुसार ''ये शिक्षा औरत और मर्द के सोचने आरै समझने के तरीकों में भिन्नता पैदा करती है जिससे स्त्री व पुरुष अलग–अलग ढंग से व्यवहार करते है, सोचते है, आकांक्षाए रखते है, क्योंकि उन्हें भेदभावपूर्ण पुरुषत्व और नारीत्व का सोच सिखलाया गया है।

(स्रोत : पितृसत्ता क्या है? कमला भसीन, अनुवाद वीणा शिवपुरी, जागोरी, 1994)